राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 03/2017- 575 /वि०स० दिनांक 3/2/17

प्रिय ....

षोडश बिहार विधान सभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2016 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को सभा की बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । चतुर्थ सत्र में कुल छः (6) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के विस्तार एवं विकास के साथ विधायी निकायों का दायित्व काफी बढ़ गया है, जिसमें जनता की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु हम सबों को अधिक संवेदनशील बनकर सदन में विचारों का आदान-प्रदान करना होगा । सदन के संचालन की सफलता सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों की सकारात्मक एवं रचनात्मक भूमिका पर निर्भर करता है । मुझे आशा एवं विश्वास है कि सदन के सफल कार्य-संचालन में आप सबों का सहयोग प्राप्त होगा ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को तृतीय सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित 8 (आठ) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

(1) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
(2) बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016
(3) बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016
(4) बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2016
(5) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2016
(6) बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016
(7) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016
(8) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016

वित्तीय कार्य

दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा-31(3) के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के वर्ष 2011-12 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवदेन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
3. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-62(4) के तहत् ''बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016'' की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् वैशाली जिला के लालगंज थानान्तर्गत ग्राम- अगरपुर में दिनांक 17/18.11.2015 को घटित विधि-व्यवस्था की समस्या और पुलिस फायरिंग की जाँच हेतु गठित जाँच आयोग का जाँच प्रतिवेदन तथा इस प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
5. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् दिनांक 24.06.2013 को हुई बगहा पुलिस गोली चालन की घटना की जाँच हेतु गठित न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन तथा इस प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
6. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-17(2) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-84 एवं 85, दिनांक- 31.03.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
7. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-265 एवं 266, दिनांक- 07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
8. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20(2) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-267 एवं 268, दिनांक- 07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
9. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-93(3) एवं 99 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-155, 156, दिनांक- 17.06.2016; 2384, दिनांक- 29.06.2016; 3055, दिनांक- 10.08.2016; एस०ओ०-184, 185, दिनांक- 10.08.2016; एस०ओ०-242, 243, 244, 245, 246, 247, दिनांक- 28.09.2016; एस०ओ०- 275, 276, 277 एवं 278, दिनांक- 07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
10. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत् बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना का वित्तीय वर्ष 2012-13 का वार्षिक लेखा की प्रति
11. पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के तहत् बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

12. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-62(4) के तहत् बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) नियमावली, 2005 में हुए संशोधन से संबंधित अधिसूचना संख्या-एस०ओ०- 238, दिनांक- 27 सितम्बर, 2016 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016
2. बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016
3. बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2016
4. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
5. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
6. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016

याचिका

इस सत्र में कुल 80 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 67 स्वीकृत हुए तथा 13 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 177 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 168 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 09 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 932 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 736 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 10 अल्पसूचित, 600 तारांकित एवं 126 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 38 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 64 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या 07, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 05 एवं 622 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 147 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 10 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 135 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 02 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 88 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 87 सूचनाएँ स्वीकृत, तथा 01 सूचना अमान्य हुआ ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय डॉ० ए० आर० किदवई, पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व सांसद
2. स्वर्गीय मो० शफी कुरैशी, पूर्व राज्यपाल एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री
3. स्वर्गीय जवाहर पासवान, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय यदुवंशी राय, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय युवराज, पूर्व स०वि०स० तथा पूर्व सांसद
6. स्वर्गीय राम इकबाल सिंह वरसी, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय अमरेन्द्र मिश्र, पूर्व स०वि०स० एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री

दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

25/1/17

(राम श्रेष्ठ राय)

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

....

....

....